

# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 271/2016

बउनवान

लटूरलाल आयु 60 वर्ष पुत्र श्री हजारीलाल जाति—मोग्या निवासी—कलमण्डा  
तहसील—बारां, जिला—बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जय्ये तहसीलदार, बारां

(रेस्पॉण्डेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

स्थापिति :-1. पेरोकार सरकार

(रेस्पॉण्डेंट)

निर्णय दिनांक— 23.04.2018



अपीलांट ने जय्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के दिनांक 27.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—कलमण्डा, तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 59 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 110/—रूपये अर्थदण्ड एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में द्वितीय अतिचार बाबत कोई साक्ष्यच नहीं होने से आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है, कब्जा पूर्व से छोड़ रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.3.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉण्डेंट को जय्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर अपील में बहस सुनने हेतु अभिभाषक को रूक—रूक पर कई बार आवाज दिलायी गयी। इसके बावजूद अभिभाषक अपीलांट बहस हेतु अनुपस्थित रहे है। तत्पश्चात् प्रकरण में गुणावगुण पर बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

बहस के दौरान पेरोकार सरकार का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 1342/11 निर्णय

जिला कलक्टर  
बारां (राब०)

दिनांक 18.3.2011 से बेदखल किया गया है। अपीलांत आदतन अतिक्रमी है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान परोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश पारित किया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 17.3.2016 से विदित होता है कि अपीलांत ने उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में अपीलांत के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांत की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 582/14 में पारित निर्णय दिनांक 27.3.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांत विवादित आराजी से कब्जा छोड़ दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटैकिंग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोड़ने से संतुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 27.3.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.3.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर

सुनाया गया।



(डॉ०एस.पी.सिंह)

जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर

बारां (सब०)